रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-22022023-243783
CG-DL-W-22022023-243783

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 6] नई दिल्ली, फरवरी 12—फरवरी 18, 2023, शनिवार/ माघ 23—माघ 29, 1944
No. 6] NEW DELHI, FEBRUARY 12—FEBRUARY 18, 2023, SATURDAY/ MAGHA 23—MAGHA 29, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 13.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय (भाषा प्रभाग) एवं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जनगणना कार्य निदेशालयों में कनिष्ठ अनुवादक भर्ती नियम, 2011 का अधिक्रमण करते हुए, इस प्रकार के अधिक्रमण करने से पूर्व किए गए कार्य या किए जाने के लिए छोड़े गए कार्य के अतिरिक्त राष्ट्रपति एतद्वारा भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय (भाषा प्रभाग) एवं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालयों में कनिष्ठ अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. -** (1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय (भाषा प्रभाग) और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालयों, कनिष्ठ अनुवादक भर्ती नियम, 2023 होगा।

(2) वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और पे मैट्रिक्स में लेवल —** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और पे मैट्रिक्स में लेवल वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि:** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उल्लिखित अनुसूची के कालम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हताएं -** वह व्यक्ति:

(क) ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु केंद्रीय सरकार, यदि संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति:** इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	पे मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन अथवा अचयन पद है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कनिष्ठ अनुवादक	14*(2023) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, अननुसचिवीय, अराजपत्रित, समूह 'ख'	पे मैट्रिक्स में लेवल-6 (रु. 35400/- - 112400/-)	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होगी
(6)	(7)	(8)
30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक की छूट) टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित के अनुसार होगी।	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम रूप में अंग्रेजी के साथ हिन्दी में स्नातकोत्तर की उपाधि; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या	लागू नहीं

	परीक्षा के माध्यम रूप में हिन्दी के साथ अंग्रेजी में स्नातकोत्तर की उपाधि; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम रूप में अंग्रेजी और हिन्दी माध्यम के साथ हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम रूप में हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम के साथ हिन्दी और अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी के साथ या इन दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में स्नाकोत्तर की उपाधि; और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम अथवा भारत सरकार के उपक्रम सहित केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालयों में हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1**: लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के आलोक में, भिन्न प्रकार से सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर योग्यता में छूट दी जा सकती हैं। **टिप्पण 2:** अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए अनुभव संबंधी अर्हताओं को कर्मचारी चयन आयोग के परामर्श से लेखबद्ध कर शिथिल किया जा सकता है यदि चयन के किसी भी चरण के दौरान कर्मचारी चयन आयोग का अभिमत है कि इन समुदायों से आवश्यक अनुमत रखने वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए संभवतः नहीं है।	

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन की दशा में नियुक्ति के मामले में, ग्रेड जिनमें से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)
2 वर्ष टिप्पणी: सीधी भर्ती वालों को भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय द्वारा आयोजित प्रासंगिक क्षेत्र में चार सप्ताह का अनिवार्य इंडक्शन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना आवश्यक है, जो परिवीक्षा को पूरा करने की एक पूर्वापेक्षा है।	सीधी भर्ती **टिप्पणी** : पदस्थ के प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी बीमारी या अध्ययन-छुट्टी या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे ज्यादा की अवधि के लिए बाहर रहने से हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाएगा; (क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करना; तथा (ख) कॉलम (7) में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखना।	लागू नहीं

यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है।	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:- 1. भारत के महारजिस्ट्रार - अध्यक्ष; 2. भारत के अपर महारजिस्ट्रार अथवा निदेशक या उप सचिव, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय - सदस्य; 3. अवर सचिव, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. . ए 51011/2/2021-प्रशा.V]

एस.एन. शर्मा, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Office of the Registrar General, India)

New Delhi, the 1st February, 2023

G.S.R. 13.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Office of the Registrar General, India (Language Division) and the Offices of the Directors of Census Operations in the States and the Union territories, Junior Translator Recruitment Rules, 2011, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules

regulating the method of recruitment to the post of Junior Translator in the Office of the Registrar General, India (Language Division) and the Offices of the Directors of Census Operations in the States and the Union territories, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India Language Division) and the Offices of the Directors of Census Operations in the States and the Union territories, Junior Translator Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.- The number of post, its classification and pay level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc..- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Junior Translator	14* (2023) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Non-Ministerial, Non-Gazetted, Group 'B'.	Pay level 6 (Rs.35400-112400) in pay matrix	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.
(6)	(7)	(8)
Not exceeding 30 years. (Relaxable for government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff	Masters Degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Masters Degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR	Not applicable.

Selection Commission.	Masters degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Masters degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR Masters degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective subjects or either of the two as the medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; AND Recognised Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central or State Government office, including Government of India Undertaking. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority, for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years. Note: The direct recruits are required to successfully complete mandatory induction training of four weeks in the relevant field organised by Office of the Registrar General India, which is pre-requisite for completion of probation.	Direct recruitment Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government; (a) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and	Not applicable.

	(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment in Column (7).	

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be Consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Registrar General, India -Chairman; 2. Additional Registrar General, India or Director or Deputy Secretary, Office of the Registrar General, India -Member; 3. Under Secretary, Office of the Registrar General, India -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A 51011/2/2021-Ad.V]

S. N. SHARMA, Dy. Secy.

राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग)

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 14.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और योजना आयोग (मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष-एवं-प्रलेखीकरण अधिकारी) भर्ती नियम, 2003 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) में निदेशक (पुस्तकालय) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नीति आयोग, निदेशक (पुस्तकालय), समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.- वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः